प्रपत्र–3

परियोजना का नाम :– शा0संख्या –1754/111/-(2)/5-64(प्रा0आ0)/05 दिनाक 10/11/05 दिनाक 10/11/05 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के ग्राम विसोगिलानी से उटैल होते हुये थैना मंन्दिर होकर काहा नेहरा पुनाहा तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कि0मी0 1 से 4.700 तक।

भाग–2

(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7.	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	:–	कालसी में ग्राम विसोगिलानी से उटैल होते हुये थैना मंन्दिर होकर काहा नेहरा पुनाहा सम्पर्क मोटर मार्ग
	i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	:–	उत्तराखण्ड
	(ii) जिला	:–	देहरादून
	(iii) जिला वन प्रभाग	:–	चकराता वन प्रभाग चकराता
	(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	:–	2.065है0
8.	पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः	:–	
9.	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः	:–	
	(i) वन का प्रकार		मिश्रित चीड़
	(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	:–	0.1
	(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	:–	सलग
	(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	:–	
10.	भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण	:–	
11.	वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	:–	5 किमी लगभग
12.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	:–	
	(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	:–	
	(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	:–	नही
	(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियां उपाबद्ध की जाए)	:–	

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियां उपाबद्ध की जाएं) :– नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे :–

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) :–

14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : :–

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लि :–

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश कि :–

15. **किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे** : :–

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं) ✓ :–

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लि :– नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) ✓ :–

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) ✓ :–

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)। ✓ :–

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : 5,36,900=00

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)। ✓ :– प्रस्ताव में संलग्न है।

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। ✓ :–

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों :– उक्त मार्ग निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को यातायात सुविधा एवं उनकी कृषि उपज को ~~स्थानीय ग्रामीणों~~ स्थानीय मण्डी तथा बाजार हेतु उक्त मार्ग की नितान्त आवश्यकता है, जिस मार्ग के दोनों ओर [illegible] क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

दिनाँक 19-3 2015

हस्ताक्षर

स्थान चकराता

नाम (डी. एस. [illegible])

सरकारी मोहर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)